उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–2
संख्याः 953 /I(2)/2011-05/47/2009
देहरादूनः दिनांकः 30 मई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के आर्टिकल आफ एसोसियेशन के आर्टिकल 34 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री अनिल कुमार जैन, निदेशक (पी) डी0एच0बी0वी0एन0, हिसार को प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के पद पर वेतनमान ₹ 37400–67000 एवं ग्रेड़ वेतन ₹ 12500.00 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन (03) वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिये निम्नांकित शर्तो के अधीन नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से 12 माह हेतु परिवीक्षाधीन होगी। उक्त परिवीक्षा अवधि में सेवा, आचरण तथा परफारमेन्स सन्तोषजनक पाये जाने की दशा में नियुक्ति की अवधि प्रस्तर–1 में वर्णित अवधि हेतु अनुमत की जायेगी। राज्य सरकार उपरोक्त नियुक्ति को दो (02) वर्ष के लिये बढ़ा सकती हैं।

3– परिवीक्षा अवधि में किसी भी समय एक माह एवं तदोपरान्त दोनों ओर से तीन माह की सूचना, जैसी भी स्थिति हो, पर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी, अर्थात् श्री जैन द्वारा तीन माह की पूर्व सूचना देकर ही उन्हें पद त्याग की अनुमति दी जायेगी तथा राज्य सरकार की ओर से भी तीन माह की सूचना देकर अथवा इस एवज में पूर्ण अथवा शेष सूचना काल का वेतन अग्रिम भुगतान कर श्री जैन का सेवाकाल समाप्त किया जा सकेगा।

4– प्रशासनिक कारणों एवं जनहित में किसी भी समय बिना किसी सूचना के यह नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

5– श्री जैन परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण होने की तिथि को तथा तत्पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न वार्षिक लक्ष्यों एवं अन्य दायित्वों के परिपेक्ष्य में स्वमूल्यांकन रिपोर्ट साक्ष्य सहित प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा को विलम्बतम 30 अप्रैल तक उपलब्ध करानी होगी। साथ ही निदेशक मण्डल के समक्ष उक्तानुसार परफारमेंन्स प्रत्येक तीन (03) माह में प्रस्तुत की जायेगी, जिस पर निदेशक मण्डल द्वारा राज्य सरकार को यथाआवश्यकता आख्या/संस्तुति प्रेषित की जायेगी।

6– श्री जैन यदि कोई पेंशन प्राप्त करते हैं तो उक्त पद पर पेंशन प्राप्तकर्ता सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनः नियुक्ति के प्रकरणों पर समय–समय पर प्रभावी उत्तराखण्ड शासन के वित्तीय नियम एवं आदेश लागू होंगे एवं तद्नुसार ही उक्त पद का उन्हें वेतन भुगतान होगा।

7– अन्यत्र सेवायोजन हेतु आवेदन शासन के माध्यम/शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

8– सेवा सम्बन्धी अन्य शर्ते, जो वर्तमान में उक्त कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक पद हेतु प्रभावी हैं/अलग से समय–समय पर निर्गत की जायेगी, श्री जैन के सम्बन्ध में प्रभावी होंगी।

9– भ्रमण कार्यक्रम एवं अवकाश के सम्बन्ध में राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

10– श्री जैन अपने पद से सम्बन्धित दायित्वों के निर्वहन के कम में अध्यक्ष/राज्य सरकार के प्रशासकीय नियन्त्रण में होंगे, जो कि अन्ततः निदेशक मण्डल एवं शासन की नीतियों से शासित होगी।

11– प्रबन्ध निदेशक पद की सेवा के पश्चात् 10 वर्षो तक उन कम्पनियों/संस्थाओं में सेवायोजन हेतु आवेदन नहीं किये जायेंगे, जिनके साथ निगम के वाणिज्यिक हित जुड़े हों।

....2

12- कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने पैतृक विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त होना होगा। पैतृक विभाग में मूल पद पर नियमानुसार लियन बनाये रखने की स्थिति में भविष्य निधि एवं अन्य अंशदान के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1985/नौ-3-ऊ/2002, दिनांक 20.12.2002 में निहित प्राविधानानुसार कार्यवाही की जायेगी। मेडिकल एवं फिटनेस रिपोर्ट, चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित), आयु, शैक्षिक, तकनीकी आदि योग्यता के सम्बन्ध में मूल प्रमाण पत्रों के साथ स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति (02 प्रतियों में) शासन में उपलब्ध करायेंगे। मूल प्रमाण पत्र अवलोकन के उपरान्त वापिस कर दिये जायेंगे। इसके अलावा विवाहित होने की दशा में केवल एक जीवित पत्नी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

13- यह नियुक्ति पत्र इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि श्री जैन द्वारा पूर्व नियोक्ता संस्था से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक माह के अन्दर विजिलेंस रिपोर्ट एवं पिछले 05 वर्षो की ए0सी0आर0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। इन रिपोर्टो में प्रतिकूलता पाये जाने पर यह नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

उपरोक्त नियुक्ति को स्वीकार करते हुये रु0 10/- के नान ज्युडीसियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र सहित 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह समझा जायेगा कि श्री जैन सेवा में आने के इच्छुक नहीं हैं और यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

एम0सी0 उप्रेती
अपर सचिव

संख्या: 783 /I(2)/2011-05/47/2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5- सचिव, सार्वजनिक उद्यम, उत्तराखण्ड शासन।
6- सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
7- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, देहरादून।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
9- प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
10- विद्युत निरीक्षक, हल्द्वानी (नैनीताल)।
11- सम्बन्धित अधिकारी (श्री जैन)
12- प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
13- मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14- व्यक्तिगत पत्रावली हेतु। PF
15- गार्ड फाईल। No. 3693 /MD/ Dt. 31/5/2011

निदेशक (का० सं०)
31/5/11

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव